

30/05/24

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील अनुरा  
न्यायालय समय में वादी वकील को रुक-  
रुककर तीन बार आवाज लगाई लेकिन कोई  
उप० नहीं आया। अतः वादी का वाद अदम  
पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया जाता है।  
पत्रावली जिसका शुमार होकर दायित्व दफ्तर हो।

सहायक कानक्टर  
(SDO) चंडीदा

